

### नियुक्ति संबंधी सूचना

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के पत्रांक QU/40/207/2022/3060, दिनांक 03.08.2023 के आलोक में झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गिरिडीह के पत्रांक 1549 दिनांक 04.10.2023 के आलोक में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है, आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2023 के अपराह्न से निबंधित डाक के माध्यम से आमंत्रित किये गये थे। विज्ञापन पर आंशिक सुधार करते हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2023 से 24.10.2023 तक एवं निबंधित डाक द्वारा ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ सभी प्रकार के प्रमाण पत्र स्व-अभिप्रमाणित प्रति दिनांक 03.11.2023 तक निबंधित डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं, विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसकी विवरणी जिले के वेबसाइट giridih.nic.in एवं जिला कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।

1  
05/10/2023

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
गिरिडीह।

ज्ञापांक...1553.../ गिरिडीह, दिनांक...05.10.2023.

प्रतिलिपि- विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र (प्रभात खबर, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर) जिला-गिरिडीह से अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को स्थानीय संस्करण में DAVP दर पर 8CM X 7CM आकार में दिनांक 06.10.2023 को प्रकाशित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को जिले की वेबसाइट [www.giridih.nic.in](http://www.giridih.nic.in) पद पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

05/10/2023

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
गिरिडीह।

**झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं के चयन हेतु  
आवश्यक सूचना।**

विभागीय आदेश संख्या QU/40/207/2022/3060 दिनांक 03.08.2023 के आलोक में जिला में संचालित झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित की जाती है। आवेदन दिनांक 06/10/23 के अपराह्न 21/10/2023 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय, समाहरणालय भवन तृतीय तल्ला पपरवाटांड गिरिडीह में जमा ली जायेगी।

Sl. No.	Name of Post	Vacancy	Roster					Total
			UR	BC-I	BC-II	SC	ST	
कक्षा 06 से 08								
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी)	1	1	0	0	0	0	1
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-गणित	1	1	0	0	0	0	1
3	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-विज्ञान	1	1	0	0	0	0	1
4	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-सा0विज्ञान	1	1	0	0	0	0	1
कक्षा 09 से 12								
5	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी)	2	1	1	0	0	0	2
6	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-विज्ञान (फिजिक्स+गणित)	1	1	0	0	0	0	1
7	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)- विज्ञान (केमेस्ट्री+बायलोजी)	1	1	0	0	0	0	1
8	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-सामाजिक विज्ञान	1	1	0	0	0	0	1
9	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-अर्थशास्त्र	1	1	0	0	0	0	1
10	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-शारीरिक शिक्षा	1	1	0	0	0	0	1

चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि

क्रं. स.	पदनाम	वांछित अहर्ता	देय परिलब्धि
1.	भाषा शिक्षिका (हिन्दी/अंग्रेजी)	1. शैक्षणिक अहर्ता-किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1 से 10 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम से उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। चयन	1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि ₹00 15840/- प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी।
2.	गणित शिक्षिका		
3.	विज्ञान शिक्षिका		

4.	सामाजिक विज्ञान शिक्षिका	<p>में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जायेगी।</p> <p>2. प्रशैक्षणिक अहर्ता- क.सं. 05 से 09 हेतु अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड तथा कं.सं. 01 से 04 हेतु मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड. अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोम में शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षिका के लिए</p> <p>1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषय के साथ 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण।</p>	2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रु. की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।
5.	शिक्षिका-शारीरिक शिक्षा	<p>2. मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शारीरिक शिक्षा में बी.पी.एड/डी.पी.एड उत्तीर्ण</p> <p>3. शिक्षक पात्रता परीक्षा- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य किया गया है। शारीरिक शिक्षिका एवं कक्षा 09 से 12 हेतु टेट अनिवार्य नहीं है।</p>	

**चयन संबंधी दिशा-निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत है-**

1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. चयनित होने वाले शिक्षिका की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमयता एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा।
3. सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
4. आयु सीमा-
  - i. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी परन्तु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 झारखण्ड सरकार के आलोक में निम्नवत होगी।

Sl.No.	Category	Maximum age limit
1	Unreserved Category	35
2	Female (UR/EWS/BC-I/BC-II)	38
3	Extremely Backward classes (Annexure I)/Backward Classes (Annexure-II)	37
4	SC/ST (Male and Female)	40

ii. भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छुट दी जायेगी।

iii. उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.08.2023 के आधार पर की जायेगी।

5. कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय/झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत पूर्णकालिक/अंशकालिन शिक्षिकाओं को राज्य कार्यकारिणी समिति की 52 वीं एवं 64 वीं बैठक में पारित निर्णय के आलोक में इन कर्मियों के एक वर्ष के कार्यकाल के विरुद्ध 01 अंक के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़े जाने पर सहमति प्रदान की गई हैं साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम शैक्षणिक में 05 प्रतिशत की सीमा तक छुट 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले को दी जा सकती है।

**6. आवेदन करने की प्रक्रिया**

i. आवेदन ऑनलाईन भरा जाएगा। ऑनलाईन आवेदन NIC गिरिडीह के वेबसाईट पर जाकर भरा जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि	06/10/2023
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	21/10/2023
निबंधित डाक द्वारा ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र , आवासीय प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति <b>जमा करने की अंतिम तिथि-</b> पता- जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा, समाहरणालय भवन तृतीय तल्ला पपरवाटांड, गिरिडीह	30/10/2023

ii. चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के अधिकारिक वेबसाईट <https://Giridih.nic.in> पर एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गिरिडीह कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

iii. चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखण्ड शिक्षा परियोजना गिरिडीह अथवा जिले के उपरोक्त अंकित अधिकारिक वेबसाईट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वे नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करें।

**9. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक-**

i. 23x10 Cm का स्व:पता लिखा हुआ दो लिफाफा।

ii. सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व:अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जाए।


iii. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी छायाप्रति संलग्न की जाए।

iv झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्व:अभिप्रमाणित छायाप्रति।


+

+

10. झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा।
11. अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा।
12. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित/रद्द करने का अधिकार जिले के उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी झारखण्ड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा।
13. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। अन्यथा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

  
04/10/2023

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
गिरिडीह।

  
04/10/23

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
गिरिडीह।